

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025-26/127A

भोपाल, दिनांक 01/05/2028

//आदेश//

विषय:- अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत अतिथि शिक्षकों के स्कोर कार्ड हेतु शैक्षणिक, प्रशिक्षण, म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं अनुभव के आधार पर अंको के विभाजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

“वर्ग-3” हेतु स्कोर कार्ड में दिये जाने वाले अंक विभाजन का विवरण- “परिशिष्ट-1”

स्कोर कार्ड हेतु आर्हताएं	कुल अंक	स्कोर कार्ड हेतु अंको का आधार
शैक्षणिक योग्यता कक्षा- 12वी।	100	12वी के प्रतिशत के आधार पर परीक्षा परिणाम में जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं उतने अंक प्राप्त होंगे।
प्रशिक्षण योग्यता- D.Ed,D.El.Ed,D.Ed(Special Education) , B.El.Ed.	100	D.Ed, D.El.Ed, D.Ed (Special Education) , B.El.Ed. होने पर 100 अंक एवं प्रशिक्षण योग्यता नहीं होने पर शून्य अंक होंगे।
MPDET- म.प्र.शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण) के अंक दिये जाएंगे।	30	प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30 अंक एवं पात्रता परीक्षा की अर्हता नहीं होने पर शून्य अंक होंगे।
प्रतिवर्ष अनुभव के 4 अंक दिये जाएंगे एक वर्ष की गणना उस सत्र में न्यूनतम 100 कार्य दिवस संबंधित वर्ग में कार्य किया गया हो को माना जायेगा। अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों हेतु अंक दिये जाएंगे।	20	प्रतिवर्ष के ऑनलाईन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 4 अंक दिये जायेंगे एवं अनुभव नहीं होने पर अंक शून्य होंगे।
कुल-	250	

“वर्ग-2” हेतु स्कोर कार्ड में दिये जाने वाले अंक विभाजन का विवरण-

“परिशिष्ट-2”

स्कोर कार्ड हेतु आर्हताएं	कुल अंक	स्कोर कार्ड हेतु अंको का आधार
शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातक ।	100	स्नातक के प्रतिशत के आधार पर परीक्षा परिणाम में जितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं उतने अंक प्राप्त होंगे।
प्रशिक्षण योग्यता- B.Ed,D.Ed,D.El.Ed,B.Ed/D.Ed (Special Education) , B.El.Ed.	100	B.Ed, D.Ed, D.El.Ed, B.Ed/D.Ed (Special Education) , B.El.Ed. प्रशिक्षण योग्यता होने पर 100 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक होंगे।
MPDET-म.प्र.शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण) के अंक दिये जाएंगे।	30	संबंधित विषय में उत्तीर्ण होने पर 30 अंक एवं अर्हता नहीं होने पर शून्य अंक होंगे।
प्रतिवर्ष अनुभव के 4 अंक दिये जाएंगे। एक वर्ष की गणना उस सत्र में न्यूनतम 100 कार्य दिवस संबंधित वर्ग में कार्य किया गया हो को माना जायेगा। अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों हेतु अंक दिये जाएंगे।	20	प्रतिवर्ष के ऑनलाईन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 4 अंक दिये जायेंगे एवं अनुभव नहीं होने पर अंक शून्य होंगे।
कुल-	250	

“वर्ग-1” हेतु स्कोर कार्ड में दिये जाने वाले अंक विभाजन का विवरण— “परिशिष्ट-3”

स्कोर कार्ड हेतु आर्हताएं	कुल अंक	स्कोर कार्ड हेतु अंको का आधार
शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में स्नातकोत्तर।	100	स्नातकोत्तर के प्रतिशत के आधार पर।
प्रशिक्षण योग्यता—B.Ed, B.Ed (Special Education), B.El.Ed.	100	B.Ed, B.Ed (Special Education), B.El.Ed. होने पर 100 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक होंगे।
MPDET-म.प्र.शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण) के अंक दिये जाएंगे।	30	संबंधित विषय में उत्तीर्ण होने पर 30 अंक एवं नहीं होने पर शून्य अंक होंगे।
प्रतिवर्ष अनुभव के 4 अंक दिये जाएंगे। एक वर्ष की गणना उस सत्र में न्यूनतम 100 कार्य दिवस संबंधित वर्ग में कार्य किया गया हो को माना जायेगा। अधिकतम 5 शैक्षणिक सत्रों हेतु अंक दिये जाएंगे।	20	प्रतिवर्ष के ऑनलाईन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 4 अंक दिये जायेगे एवं अनुभव नहीं होने पर अंक शून्य होंगे।
कुल—	250	

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025-26/128 B
प्रतिलिपि:—

- 1.सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
- 2.संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
- 3.कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
- 4.समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
- 5.समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
- 6.समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल म.प्र.।
- 7.Nicsi की ओर सूचनार्थ ।

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 01/05/2025

अपर संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश